कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

संख्या– 172 /एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक– 03 जून, 2024

आदेश

शासन द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग–03, के पत्र संख्या–1692/ 7–3– 2023–919 भा0/81 दिनांक 06–10–2023 के द्वारा निर्देशित किया गया कि पुनर्वास विलेख से सम्बन्धित भूमि एवं निजी औद्योगिक पार्क हेतु आवंटित भूखण्डों की भूमि को छोड़कर अवशेष भूमि के सम्बन्ध में कार्ययोजना शासन को उपलब्ध करायी जाये।

प्रबन्धक, मैसर्स दुर्गा इन्टर प्राइजेज प्रा0लि0, प्लाट नं0–32,33 साहिबाबाद गाजियाबाद को कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

शासन के उपरोक्त निर्देशो के कम में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–3544/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 06 जनवरी,2024 के द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद की अध्यक्षता में अवशेष भूमि का मौके पर सत्यापन कराये जाने हेतु समिति गठित करते हुए निर्देशित किया गया कि दिनांक 20–01–2024 तक आख्या प्रेषित करें।

सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद ने पत्र संख्या–329/2/2024 दिनांक 31–05–2024 के द्वारा अवगत कराया है कि गठित समिति में नामित सदस्यों में से श्रीमती शुभांगी शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद एवं श्री प्रशांत गौतम, अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है । अतः इनके स्थान पर पर किसी अन्य अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें ।

सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के उपरोक्त पत्र के कम में श्रीमती शुभांगी शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के स्थान पर श्री अजय कुमार अम्बष्ट, नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद एवं श्री प्रशांत गौतम, अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के स्थान पर श्री राजकुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, जोन–07, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद को नामित किया जाता है ।

गठित समिति उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

प्रतिलिपि :–

1– उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद ।

2– सचिव, गाजियबाद विकास प्राधिकरण को पत्र संख्या–329/2/2024 दिनांक 31–05–2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– उपरोक्त समिति के सदस्यों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद